पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रो से वांछित में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19-02-2021

दिनांक 18/19-02-2021को रात्रि थाना पीजीआई 01, पारा 01, गाजीपुर 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वंछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 18.02.2021 को एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी थाना गोसाईगंज व महिला आरक्षी विदुशी थाना गोसाईगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्ता 01.श्रीमती गुड्डी पत्नी स्व0 रामरतन निवासी जगन्नाथगंज थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को तालाब के किनारे ग्राम जगन्नाथगंज थाना गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के पिपिया मे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना काकोरी:-दिनांक 18.02.2021 को एस0आई0 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह थाना काकोरी द्वारा अभियुक्त 01.मो0 दानिश पुत्र मो0 रईस निवासी बजीरबाग कैम्पल रोड़ थाना सआदतगंज लखनऊ को हरदोई रोड से दशहरी जाने वाले मोड पर काकोरी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 अदद अवैध पउवा (कुल 05ली) अवैध देशी शराब बरामद कर थाना काकोरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 मध्य

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना बंथरा:-दिनांक 20.02.2021 को एस0आई0 श्री संतोष कुमार थाना बंथरा द्वारा अभियुक्त 01.रविराज पुत्र दिलीप कुमार गौतम निवासी ग्राम बंथरा थाना बंथरा लखनऊ 02.राम किशोर दिवाकर पुत्र भूरा प्रसाद निवासी आजाद बिहार कालोनी थाना बंथरा लखनऊए मूलनिवासीः-ग्राम चंदशी थाना बदौरा जनपद जालौन को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान ग्राम हमीरपुर में स्थित मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से मालफड़ में 10,000/-रूपये ताश के 52 अद्द पत्तें व जामा तलाशी में 500/-रूपये बरामद कर थाना बंथरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बंथरा:-दिनांक 19.02.2021 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि श्रीमती केशकली पत्नी सोने लाल निवासी ग्राम रामधौरा रोड़ बंथरा सिकन्दरपुर थाना बंथरा लखनऊ ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 19.02.2021 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः उसके पति सोनेलाल रावत उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र स्व0 केशनलाल जो घर से बाहर कुछ दूरी पर स्थित आम के बाग में पेड़ में मफलर का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजेश कुमार मो0नं0 8840490417 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक सोनेलाल द्वारा घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित महादेव के खेत में लगे आम के पेड़ में मफलर का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। मृतक राजगिरी का काम करता था। मृतक के 02 लड़के व 03 लड़की है।

गोसाईगंजः-दिनांक 19.02.2021 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री विद्यालाल निवासी ग्राम गौरियाकलां पोस्ट टिकनिया मऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 19.02.2021 को वादी के पिता विद्यालाल पुत्र स्व0 फकीरे जो प्रातः समय करीब 07.45 बजे घर से नित्य शौच क्रिया के लिए ही गांव के चैराहे की ओर गये थे, जो कि वापस आते समय चैराहे के नजदीक ही पीछे से आ रही तेज रफ्तार मारुति वैन नं0 यूपी 78 सीयू-3792 ने जो काफी पता करने पर पता चला कि गाड़ी मालिक रनमऊ मजरा गौकलां के मूलनिवासी मोहम्मद अतीक की है, जिसे उनका सगा पुत्र चला रहा था, जो बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाकर वादी के पिता जी को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वादी के पिता विद्यालाल उम्र करीब 75 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 76/2021 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुबोध कुमार भारद्वाज द्वारा की जा रही है। **प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि मृतक के एक पुत्र है।**

हसनगंजः-दिनांक 19.02.2021 को थाना हसनगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती रहनुमा बानो पत्नी मो0 हलीम उर्फ पप्पे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी पुरानी बांसमण्डी निकट शीशे वाली मस्जिद थाना हसनगंज लखनऊ ने थाना हसनगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 19.02.2021 को समय करीब 10.00 बजे दिन में वादिनी के पति का वादिनी के ससुर नासिर उर्फ कल्लू से मकान व आपसी विवाद था। वादिनी के ससुर मकान खाली करने के लिए और पैसे की मांग कर रहे थे, जब वादिनी के पति ने पैसे देने से मना किया तो इसी बात पर दोनो लोगो में कहासुनी लड़ाई झगडा शुरु हो गया, और इतने में मेरी सौतेली सास शाहेदा, ननद खुशबू उर्फ खुशनुमा, और फरहान सौतेला देवर ने मिलकर मारपीट करने लगे, फरहान ने लोहे के राड से वादिनी के पति के सिर पर जोर से मारा जिससे मौके पर ही वादिनी के पति की मृत्यु हो गयी। वादिनी ऊपर से दौड़कर आती तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस सूचना पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 45/2021 धारा 302 भादवि का अभियोग बनाम 1.शाहेदा सौतेली सास 2.खुशबू उर्फ खुशनुमा ननद 3.फरहान सौतेला देवर 4.नासिर उर्फ कल्लू ससुर निवासीगण पुरानी बांसमण्डी निकट शीशे वाली मस्जिद थाना हसनगंज लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हसनगंज द्वारा की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक लोहार गिरी का काम करता था।